होल्डिंग टैक्स में 200 गुना तक ब्याज-जुर्माना जोड़ने से आक्रोश

नप कांटी : किसी को 2 तो किसी को 3 लाख का नोटिस

भास्कर न्यूज | कांटी

नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स का नोटिस सभी वार्डों में घर-घर पहुंचा दिया गया है, मगर इस नोटिस में बहुत सारी खामियां पर जनता में आक्रोश है। दरअसल, नगर पालिका अधिनियम 158 के तहत होल्डिंग टैक्स के मूल कर में ब्याज सहित जुर्माना जोड़ कर दिया गया है। नोटिस में मूल कर से चार गुना से लेकर 200 गुना तक अधिक ब्याज और 2000 से लेकर 5000 तक जुर्माना जोड़ा गया है। जबकि 2005 से अब तक कार्यालय द्वारा कर जमा करने को लेकर कोई बिल जारी नहीं किया गया था। 19 साल में एक बार होल्डिंग टैक्स का नोटिस दिया गया है, जिसके कारण किसी का 3 लाख तो किसी का 2 लाख बिल आया है।

ईओ की तरफ से नहीं मिला जवाब

नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष सम्राट कुमार ने बताया कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 की नोटिस के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी को धारा 155,156 एवं 157 के नियमों का पालन करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा किए बिना 158 की कार्रवाई की कोई वैद्यता नहीं है। अधिवक्ता मनीष कुमार ने कहा कि यह प्रक्रिया नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की नाकामी को दर्शाता है। इधर, ईओ कृष्ण भूषण कुमार से संपर्क किया तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है।

2024-01-04

मुजफ्फरपुर (-2)

होल्डिंग टैक्स में 200 गुना तक ब्याज - जुर्माना जोड़ने से आक्रोश

नप कांटी : किसी को 2 तो किसी को 3 लाख का नोटिस

भास्कर न्यूज | कांटी

नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स का नोटिस सभी वार्डों में घर-घर पहुंचा दिया गया है, मगर इस नोटिस में बहुत सारी खामियां पर जनता में आक्रोश है। दरअसल, नगर पालिका अधिनियम 158 के तहत होल्डिंग टैक्स के मूल कर में ब्याज सहित जुर्माना जोड़ कर दिया गया है। नोटिस में मूल कर से चार गुना से लेकर 200 गुना तक अधिक ब्याज और 2000 से लेकर 5000 तक जुर्माना जोड़ा गया है। जबकि 2005 से अब तक कार्यालय द्वारा कर जमा करने को लेकर कोई बिल जारी नहीं किया गया था। 19 साल में एक बार होल्डिंग टैक्स का नोटिस दिया गया है, जिसके कारण किसी का 3 लाख तो किसी का 2 लाख बिल आया है।

ईओ की तरफ से नहीं मिला जवाब नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष सम्राट कुमार ने बताया कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 की नोटिस के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी को धारा 155, 156 एवं 157 के नियमों का पालन करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा किए बिना 158 की कार्रवाई की कोई वैद्यता नहीं है। अधिवक्ता मनीष कुमार ने कहा कि यह प्रक्रिया नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की नाकामी को दर्शाता है। इधर, ईओ कृष्ण भूषण कुमार से संपर्क किया तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है।